न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 243/2022

जीसीएमएस नं. 2022/243

1. धर्मपाल पुत्र मोमनराम
2. सुलतान पुत्र मोमनराम } जाति जाट निवासी छानीबड़ी तह0 भादरा जिला हनुमानगढ
3. मांगेराम पुत्र रामकुमार

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. दारासिंह पुत्र भूप सिह
2. कलावती पत्नी भूप सिह
3. विजय सिह पुत्र भूप सिह } जाति जाट निवासी छानीबड़ी, तहसील भादरा
4. शारदा पुत्री भूप सिह जिला हनुमानगढ।
5. सरोज पुत्री भूप सिह

6. मंगलाराम पुत्र पूनमचन्द —फौत
   - 6/1 कृष्णा पत्नी मंगलाराम
   - 6/2 रवी पुत्री मंगलाराम
   - 6/3 मोनू पुत्र मंगलाराम
   - 6/3 पूजा पुत्री मंगलाराम

   जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ
7. छोटूराम पुत्र पूनमचन्द
8. कमला पत्नी जोधाराम
9. धोलू पुत्र लीलूराम

10. भागाराम पुत्र पूनमचन्द —फौत
    - 10/1 कृष्ण कुमार पुत्र भागाराम
    - 10/2 अजना पुत्री भागाराम

    जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

11. बलवीर पुत्र पूनमचन्द जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

11/1 रेशमा पत्नी बलवीर
11/2 रामपाल पुत्र बलवीर
11/रु मीरा पुत्री बलवीर
11/4 राजबाला पुत्री बलवीर
} जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

12. प्रेमा पुत्री पूनमचन्द
13. सन्तोष पुत्री पूनमचन्द
14. कलावती पुत्री पूनमचन्द
15. नौरंगी पुत्री पूनमचन्द
16. कौरी पत्नी पूनमचन्द
} जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

17. सुभाष पुत्र मोमनराम –फौत

17/1 शकुन्तला पत्नी मनोज कुमार
17/2 क्रिस पुत्र मनोज कुमार
17/3 रितिका पुत्री मनोज कुमार
} जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमागनढ।

18. मांगेराम पुत्र तुलछीराम
19. मेवा सिह पुत्र तुलछीराम
} जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

20. रूपाराम पुत्र तुलछीराम–फौत

20/1 बनवारीलाल पुत्र रूपाराम
20/2 राजेन्द्र पुत्र रूपाराम
20/3 प्रताप सिह पुत्र रूपाराम
20/4 सुलतान सिह पुत्र रूपाराम
20/5 मेवा सिह पुत्र रूपाराम
20/6 सुरेश पुत्र रूपाराम
20/7 गुड्डी पत्नी कृष्ण कुमार
} जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

20/8 प्रदीप
20/9 जगदीश
} पिसरान कृष्ण जाति जाट निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

— **रेस्पोडेंट्स**

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 19.08.2011 व संशोधित डिक्री दिनांक 02.01.2012
द्वारा सहायक कलक्टर भादरा, प्रकरण सं0 15/11
अनवान दारासिंह बनाम मंगलाराम

उपस्थितिः–

श्री देवदत्त भिड़ासरा, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री नरेश शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेण्ट सं0 1 से 15
श्री हवा सिंह पूनिया , अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 18, 19, 20/1 से 20/09

निर्णय दिनांक 06.07.2025

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 5 ने विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिमसें चक 2 जेजीडब्ल्यू की 1.771 है0 चक 4 जेजीडब्ल्यू की 5.313 है0 अच्छी मंदी किस्म के अनुसार खाता विभाजन करने बाबत पेश किया। वाद पत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के द्वारा वाद वादी स्वीकार किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत एवं बिना प्रभावित पक्षकारों को सुने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 5 ने वाद दिनांक 12.01.2011 को प्रस्तुत करने पर अपीलांट व अन्य रेस्पोडेण्ट संख्या 6 ता 20 की तलबी हेतु आगामी पेशी दिनांक 11.03.2011 निर्धारित की गई है व दिनांक 11.03.2011 को अपीलाण्ट व वाद के प्रतिवादी सं0 13 व 16 एवं 18 ता 20 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी जबकि सम्मन की चस्पांदगी से तामील हेतु न्यायालय का आदेश होना आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायलाय ने उक्त विधिक प्रावधान की अनदेखी की है। प्रश्गनत 5.313 है0 भूमि के लिए वाद खाता विभजान हेतु पेश कर अच्छी मंदी के अनुसार विभाजन चाहा है मगर अपीलांट व रेस्पोडेंट के पूर्वजों के समय ही कृषि भूमि का अच्छी मंदी के अनुसार खाता विभाजन कर लिया गया था व पूर्व में हुए विभाजन के अनुसार ही पक्षकार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने वादग्रस्त भूमि में केवल मात्र धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर खाता विभाजन चाहा था, परन्तु विचारण न्यायालय ने वाद में बिना कोई अनुतोष चाहे प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.08.2011 में सज्जन का नाम कलमजन करने का आदेश पारित कर दिया व पुनः दिनांक 02.01.2012 को संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी करके रेस्पोडेण्ट सं0 1 से 5 के भाई सज्जन को चक 2 जेडीडब्ल्यू की 1.771 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित करके सज्जन का नाम जमाबंदी से कलमजन करने का आदेश पारित किया है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 5 ने चक 2 जेजीडब्ल्यू व चक 4 जेजीडब्ल्यू की भूमि का विभाजन चाहा है परन्तु उक्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 5 का कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं उनके द्वारा भूमि का विक्रय किया जा चुका है। मृतक सज्जन के नाम दर्ज भूमि पर भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। वाद के प्रतिवादीगण की तामील में कोई विधिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। तामील नहीं होने पर अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नहीं हो सका ज्ञान होते ही अपील पेश कर दी है। देरी क्षमा की जावे एवं अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण प्रक्रिया अपना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। पक्षकारों के पूर्वजों के मध्य पूर्व में कोई बंटवारा नहीं किया गया है। अपीलाण्ट की विधि सम्मत तामील करवाई गई थी मगर उनके उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही गई है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सम्मत है। अपीलाण्ट ने यह अपील मियाद बाहर पेश की है। अपीलाण्ट को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का पहले से ही ज्ञान रहा है। अपील विलम्ब से पेश करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट को हैरान परेशान करने के लिए यह अपील पेश की है जो खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने वादग्रस्त भूमि में केवल मात्र धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत कर खाता विभाजन चाहा था, परन्तु विचारण न्यायालय ने वाद में बिना कोई अनुतोष चाहे प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.08.2011 में सज्जन का नाम कलमजन करने का आदेश पारित कर दिया व पुनः दिनांक 02.01.2012 को संशोधित प्राथमिक डिक्री जारी करके रेस्पोडेण्ट सं0 1 से 5 के भाई सज्जन को चक 2 जेडीडब्ल्यू की 1.771 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित करके सज्जन का नाम जमाबंदी से कलमजन करने का आदेश पारित किया है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 5 ने चक 2 जेजीडब्ल्यू व चक 4 जेजीडब्ल्यू की भूमि का विभाजन चाहा है परन्तु उक्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट सं0 1 ता 5 का कोई कब्जा काश्त नहीं है एवं उनके द्वारा भूमि का विक्रय किया जा चुका है। मृतक सज्जन के नाम दर्ज भूमि पर भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 5 का कोई कब्जा काश्त है अथवा नहीं इसकी कोई जांच नहीं की गई है। दिनांक 12.01.2011 को वाद प्रस्तुत किया था व वाद में आगामी पेशी एकपक्षीय कार्यवाही कर दी जबकि अपीलांट गांव छानीबड़ी में अपने परिवार सहित रह रहे हैं। वाद के प्रतिवादी सं0 13 व 16 एवं 18 ता 20 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर दी जबकि सम्मन की चस्पांदगी से तामील हेतु न्यायालय का आदेश होना आवश्यक है। चूंकि वाद खाता विभजान का है एवं अपीलाण्ट एक सह कातकार है उसे सुन कर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री दिनांक 19.08.2011 व संशोधित प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.01.2012 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण की विधि सम्मत तामील करवाकर, नियम 18 से 21 की पालना करते हुए दोनों पक्षों को सुनकर विधिवत रूप से पुनः निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.07.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/7/23

(करतारसिंह पूनिया) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)